2010:CGHC:7316-DB

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**युगलपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं**

**माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण**

**रिट याचिका (सी) क्रमांक 5642/2009**

**याचिकाकर्ता:** मेसर्स जय माता दी कंस्ट्रक्शन्स

**बनाम**

**उत्तरवादीगण:** छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

**आदेश हेतु विचारार्थ रखा गया।**

**सही/-**
**धीरेन्द्र मिश्रा**
**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय श्री न्यायाधीश आर. एन. चंद्राकर**

मैं सहमत हूँ ।

**सही/-**
**आर. एन. चंद्राकर**
**न्यायाधीश**

**आदेश हेतु दिनांक 26/03/2010 के लिए नियत**

**सही/-**
**धीरेन्द्र मिश्रा**
**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**युगलपीठ:** **माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं**

**माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण**

**रिट याचिका (सी) क्रमांक 5642/2009**

**याचिकाकर्ता:** मेसर्स जय माता दी कंस्ट्रक्शन्स, ए-5 शासकीय ठेकेदार, कछिया भवन, केदारपुर, अंबिकापुर, द्वारा: भागीदार कुंती गुप्ता, पति राजकुमार गुप्ता, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी कछिया भवन, केदारपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**उत्तरवादीगण:**

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, लोक निर्माण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
2. प्रमुख अभियंता (रा.रा.), लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य, बैरन बाज़ार, नलघर चौक, रायपुर, जिला रायपुर
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, परिक्षेत्र बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

4. भारत संघ, द्वारा: सचिव, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) नई दिल्ली

5. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग क्रमांक 2, अंबिकापुर, रामानुजगंज, जिला सरगुजा (छ.ग.)

6. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

7. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता : याचिकाकर्ता की ओर से

श्री यू.एन.एस. देव, अधिवक्ता : उत्तरवादीगण की ओर से

**आदेश**

**(दिनांक 26.3.2010 को पारित)**

**धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश**

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है:

    i. यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण लेख जारी कर सचिव द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.07.2009 (अनुलग्नक पी-1), कार्यपालन अभियंता

द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2009 (अनुलग्नक पी-2) और आदेश दिनांक 10.9.2009 (अनुलग्नक पी-3) को अभिखंडित करने की कृपा करें।

ii. यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया याचिकाकर्ता के मामले के संबंध में उत्तरवादियों के कब्जे से संपूर्ण अभिलेख मंगाने की कृपा करें।

iii. यह कि, यह माननीय न्यायालय मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में कोई अन्य अनुतोष, जो उचित और उपयुक्त समझा जाए, प्रदान करने की कृपा करें और उत्तरवादियों को संविदा के खंड 14 के परिप्रेक्ष्य में संविदा निरस्तीकरण के संबंध में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता का व्यथा-वृत्तांत, जैसा कि याचिका में दर्शाया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता एक पंजीकृत 'अ-5 श्रेणी' का सिविल ठेकेदार है। उसने 'जशपुर-आस्ता-कुसमी-सामरी सड़क' के 'चौड़ीकरण और बी.टी.कार्य' के लिए उत्तरवादियों के साथ दिनांक 9.9.2006 को एक करार किया था, जिसका मूल्य 1191.17 लाख रुपये था। कार्यादेश उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा अनुलग्नक पी-6 के माध्यम से दिनांक 12.9.2006 को जारी किया गया था और कार्य निष्पादित करने के लिए अनुमत समय, कार्यादेश जारी होने की तारीख से वर्षा ऋतु सहित 18 माह था। याचिकाकर्ता ने कई अभ्यावेदन उत्तरवादी प्राधिकारियों को और उनके संज्ञान में यह लाया कि भारतीय सड़क कांग्रेस के सड़क और पुल कार्यों के विनिर्देश के अनुसार, करार के तहत सड़क पर डामरीकरण कार्य नहीं किया जा सकता है। मुख्य अभियंता ने अपने ज्ञापन अनुलग्नक पी-12 दिनांक 21.4.2009 के माध्यम से प्रमुख अभियंता को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खंड 508.1 के विनिर्देश के अनुसार, सेमी डेंस डामर कंक्रीट के निर्माण में, पहले से तैयार डामरयुक्त सतह पर एसडीबीसी की एकल परत या एकाधिक परत का निर्माण शामिल है। एकल परत की मोटाई 25 मिमी से 100 मिमी तक होगी। हालांकि,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रश्नगत करार के तहत एसडीबीसी को दानेदार उप-आधार पर किया जाना है, जबकि 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट डिज़ाइन के अनुसार उपयुक्त नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राक्कलन भी अग्रेषित किया। हालांकि, अनुलग्नक पी-14 के माध्यम से मुख्य अभियंता को यह निर्देशित किया गया कि सीआरएफ दिशा निर्देशों के तहत प्राक्कलन के पुनरीक्षण की अनुमति नहीं है। प्रमुख अभियंता ने अपने ज्ञापन दिनांक 5.1.2009 (अनुलग्नक पी-16) के माध्यम से मुख्य अभियंता को एसडीबीसी के स्थान पर 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट और सील कोट प्रदान करके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रमुख अभियंता ने आगे अनुलग्नक पी-17 के माध्यम से करार के खंड 14 के तहत संविदा को निरस्त करने की अनुमति दी। कार्यपालन अभियंता और साथ ही अधीक्षण अभियंता ने नुकसानी अधिरोपित किए बिना करार के खंड 14 के तहत संविदा को निरस्त करने की अनुशंसा की और मामला अनुमति हेतु राज्य शासन को अग्रेषित किया गया क्योंकि निविदा सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। हालांकि, राज्य शासन ने आक्षेपित आदेश दिनांक 30.7.2009 (अनुलग्नक पी-1) के माध्यम से डब्ल्यूबीएम सतह पर 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट की अनुमति प्रदान की, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि संविदाकार करार के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए आबद्ध था। अनुलग्नक पी-1 के आदेश के पश्चात्, कार्यपालन अभियंता ने अपने ज्ञापन दिनांक 29.8.2009 (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से याचिकाकर्ता को समय-वृद्धि हेतु आवेदन करने के उपरांत तत्काल कार्य प्रारंभ करने और डिज़ाइन के अनुसार डब्ल्यूबीएम सतह पर 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट द्वारा कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल होने पर करार को संविदा करार के खंड 3ग के अनुसार विखंडित कर दिया जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. श्री परांजपे, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि स्थल अभियंताओं के साथ-साथ पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी अभियंताओं अर्थात् मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा संबोधित विभिन्न ज्ञापनों के परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि डिज़ाइन में त्रुटि थी और वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देश के अनुसार नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से डामर मुरुम का प्रावधान करने की राय दी, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति के समय छोड़ दिया गया था। पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया गया था, तथापि अभियंताओं की सुविचारित राय को अनदेखा करते हुए, राज्य शासन ने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1 के माध्यम से डिज़ाइन के अनुसार डब्ल्यूबीएम सतह पर सीधे 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेटिंग प्रदान करके सड़क के निर्माण के लिए जोर दिया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा अनुलग्नक पी-2 की सूचना तामील की गई, जिसमें उसे अनुलग्नक पी-1 के माध्यम से शासन द्वारा निर्देशित कार्य को प्रारंभ करने और उसे पूर्ण करने के लिए कहा गया, जिसमें विफल होने पर खंड 3ग के तहत संविदा को विखंडित करने पर विचार किया जाना था। अनुलग्नक पी-1 को पारित करने और अनुलग्नक पी-1 के अनुसरण में सूचना (अनुलग्नक पी-2) जारी करने की राज्य की कार्रवाई मनमानी, अवैध, अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। नुकसानी अधिरोपित किए बिना करार के खंड 14 के तहत संविदा को निरस्त करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा स्पष्ट अनुशंसा के बावजूद, संविदा को विखंडित करने के लिए खंड 3ग का अवलंब लेना अवैध, मनमाना और शक्तियों का दुरूपयोग है। **नोबेल रिसोर्सेज लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य व अन्य** के मामले में, जो **2006 एआईआर एससीडब्ल्यू 5408** में प्रकाशित है, के निर्णय का अवलंब लेते हुए, यह तर्क दिया गया कि संविदात्मक मामलों में रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं या याचिकाकर्ता के पास

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। जहाँ सरकार या उसकी अभिकरणों की कार्रवाई मनमानी है या पक्षपात से प्रेरित है और जहाँ न्यायालय की यह राय है कि इसमें लोक विधि तत्व शामिल है, वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन अनुज्ञेय है।

4. इसके विपरित, उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क दिया कि करार के प्रावधानों के अनुसार, कार्य को वर्षा ऋतु सहित 18 माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। चौड़ीकरण का कार्य निम्नलिखित तरीके से 20 सेमी मोटे मुरुम का उप-आधार प्रदान करके किया जाना था:-

i. 20 सेमी मोटाई का उप-आधार मुरुम बिछाया जाना था।

ii. उक्त उप-आधार के ऊपर ग्रेडिंग II के दो कोट किए जाने थे, प्रत्येक कोट 0.75 सेमी मोटा होना था।

iii. इस ग्रेडिंग-III के ऊपर, 0.75 सेमी का एक कोट किया जाना था;

iv. इसके ऊपर 25 मिमी मोटाई का एसडीबीसी (सेमी डेंस डामर कंक्रीट) किया जाना/ बिछाया जाना था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हालांकि, याचिकाकर्ता ने ग्रेडिंग-III तक का कार्य पूर्ण किया, वह भी उपरोक्त वर्णित तरीके से नहीं और न ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर। याचिकाकर्ता एसडीबीसी कार्य को पूर्ण करने का इच्छुक नहीं था क्योंकि डामर की दर बढ़ जाने के वित्तीय निहितार्थों पर विचार करते हुए और उसने भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देश का सहारा लेकर कार्य से बचने का प्रयास किया, जो यह प्रावधान करता है कि एसडीबीसी एक सतही परत है और इसे दानेदार उप-आधार/डब्ल्यूबीएम पर करने की आवश्यकता नहीं है। करार के खंड 28 का संदर्भ देते हुए, यह तर्क दिया गया कि खंड 28 के तहत संविदा करार से उत्पन्न होने वाले विवाद के समाधान के लिए माध्यस्थम् के माध्यम से एक पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है और जहाँ कोई

भी पक्षकार मुख्य अभियंता के अंतिम निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह माध्यस्थम् अधिकरण के माध्यम से विवाद के समाधान हेतु याचिका दायर कर सकता है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। हमने संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. याचिकाकर्ता ने करार करने और डब्ल्यूबीएम का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् यह विवाद उठाया कि करार के तहत प्रावहित डामरीकरण का कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रावधानों के अनुसार नहीं है और इस संबंध में निर्णय लेने अथवा, एक विकल्प के रूप में, करार के खंड 14 के तहत बिना नुकसानी के संविदा को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग सहित पर्यवेक्षण प्राधिकारियों ने संविदाकार के विचारों का समर्थन किया, पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया और उसे मुख्य अभियंता, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु भेजा, तथापि, उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने ज्ञापन दिनांक 15.12.2008 (अनुलग्नक पी-14) के माध्यम से मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को अवगत कराया कि सीआरएफ दिशानिर्देशों के तहत प्राक्कलन के पुनरीक्षण की अनुमति नहीं है और यह सुझाव दिया गया कि स्वीकृत लागत के भीतर दानेदार आधार पर डामरयुक्त सतही परत के विनिर्देश को 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट मय सील कोट में परिवर्तित करने पर विचार किया जाए। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने भी अपने अनुलग्नक पी-1 के प्रस्ताव के माध्यम से डिज़ाइन के अनुसार डब्ल्यूबीएम सतहपर 20 मिमी प्रीमिक्स कारपेट बिछाने की अनुमति दी और यह भी अवधारित किया गया है कि ठेकेदार संविदा मूल्य के भीतर उपरोक्त कार्य को करने के लिए आबद्ध है।

7. जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि विभागीय अभियंताओं की अनुशंसाओं को, कि करार के तहत कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के विनिर्देश और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खंड 508.1 के परिप्रेक्ष्य में साध्य नहीं है, राज्य के प्राधिकारियों द्वारा बिना कोई कारण बताए अधिभूत कर दिया गया, हमारी यह राय है कि लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अभियंताओं के परस्पर विरोधी विचारों को एक रिट याचिका में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है।

8. यह अब सुस्थापित सिद्धांत है कि सामान्यतः संविदात्मक बाध्यताओं को ..

9. प्रवृत्त कराने के लिए रिट एक उपचार नहीं है और ऐसे विवादों को न्यायनिर्णीत करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत याचिका उचित कार्यवाही नहीं है। जब एक वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावकारी उपचार उपलब्ध हो, तो याचिकाकर्ता को उस उपचार का अनुसरण करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति पर विचार करते समय, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या राज्य या उसके साधन मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। जब राज्य या उसके साधन अपने संविदात्मक दायित्व में लोकहित और लोक रूचि के प्रतिकूल, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अयुक्तियुक्त रूप से कार्य करते हैं, तब संविधान का अनुच्छेद 14 प्रवृत्त होता है और उच्च न्यायालय को मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका को ग्रहण करने या न करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही अवधारित कर चुके हैं कि याचिकाकर्ता का संपूर्ण मामला राज्य की उस कार्रवाई पर आधारित है, जिसमें कार्य में शामिल अभियंताओं की अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को करार के प्रावधानों के अनुसार कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति में परस्पर विरोधी विशेषज्ञ रायों का न्यायनिर्णयन शामिल है और इस पर रिट कार्यवाही में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस विवाद को निपटाने के लिए विशेषज्ञों के साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

11. पूर्वोक्त कारणों से, हम इस रिट याचिका को ग्रहण करने से इंकार करते हैं, तथापि याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार करार के तहत उपलब्ध समुचित उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता आरक्षित करते हैं।

12. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

**सही/-**
**धीरेन्द्र मिश्रा**
**न्यायाधीश**

**सही/-**
**आर. एन. चंद्राकर**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरण:** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Bhumesh Bharti**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur